उदयपुर

19-8-19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित हुये। अप्रार्थी अनुपस्थित है। अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश नही हुआ है। अप्रार्थी को तीन बार आवाज लगवाई गई। फिर भी अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर एक तरफा बहस सुनी गई। विवादग्रस्त भूमि मौजा बन्जारिया पटवार हल्का बन्जारिया तहसील खेरवाडा जो प्रार्थी के विक्रय विलेख दि॰ 19-7-02 मे दर्ज आराजीयात प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी भूमि है। उसका एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 188 R.T. Act के तहत न्यायालय मे विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते एवं एक तरफा बहस पर मनन कर यह आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी सं॰ 1 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे की वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार का कब्जा नही करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। वादग्रस्त भूमि

∴ निरन्तर -

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अ हुक्म की तामील
	कि स्थिति यथावत बनाये रखे। अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे तथा मूल वाद पत्र के साथ नत्थी होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जि. उदयपुर	